न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 155/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– हरि सिह पुत्र बुलीदान सिह 2– भोजराज सिह पुत्र बुलीदान सिह 3– खींव सिह पुत्र बुलीदान सिह 4– दीप सिह पुत्र बुलीदान सिह सभी जातियान राजपूत निवासी उनावडा निम्बो का तालाब, तहसील ओसियां जिला जोधपुर 5– चुनीकंवर पुत्री स्व0 किरत सिह निवासी आऊ तहसील फलोदी जिला जोधपुर		1– प्रेम सिह पुत्र अमान सिह जाति राजपूत निवासीगण जेरिया तहसील ओसियां जिला जोधपुर 2– धापूकंवर पुत्री किरत सिह जाति राजपूत निवासी जेरियां, तहसील ओसियां 3– सरपंच ग्राम पंचायत पल्ली तहसील ओसियां जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय सहायक कलेक्टर ओसियां अपील संख्या 165/2014 अनवान हरि सिह बनाम प्रेम सिह वगैरा मे निर्णय दिनांक 11–7–16 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री रोशन लाल विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से ।
3– रेस्पो0 संख्या 3 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 21–6–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जेरिया तहसील ओसियां स्थित खसरा नंबरान 93, 90, 91 एवं 92 कुल 4 खसरान की 177.07 बीघा भूमि किरतसिह, अमानसिह, दलपतसिह पि0 आईदानसिह कौम राजपूत के सह खातेदारी की थी । उक्त भूमि के सह खातेदार किरतसिह के फोत होने पर उसके हिस्से की भूमि का नामांतरकरण संख्या 36 पटवारी हल्का पल्ली ने वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 प्रेमसिह को जाईन्दा व मोजुदा लडका बताते हुए उसके पक्ष मे भरकर दिनांक 16–12–76 को पेश किया, जिसे सरपचं ग्राम पंचायत पल्ली ने सर्वसम्मति से स्वीकृत कर दिया । उक्त नामांतरकरण संख्या 36 के विरूद्ध वर्तमान अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां के समक्ष प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली को लोक अदालत केम्प कोर्ट पल्ली मे रखते हुए अपील 37 वर्ष विलंब से प्रस्तुत होना तथा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे ठोस कारण पेश नही किया होने का उल्लेख करते हुए अपील को मयाद के बिन्दु पर दिनांक 11–7–16 को खारीज कर दी जाने पर वर्तमान द्वितीय अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांटगण हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत मृतक खातेदार किरतसिह के प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी होते हुए,

उतराधिकारियो की जांच किये बिना ही रेस्पो0 संख्या 1 प्रेमसिह को गलत तरीके से मृतक खातेदार किरत सिह का जाईन्दा पुत्र दर्शाते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 36 सरपंच ग्राम पंचायत पल्ली द्वारा स्वीकृत कर दिया, जो प्रारंभ से ही विधिविरूद्ध होने से उक्त म्युटेशन की जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष म्युटेशन की प्रथम अपील प्रस्तुत की तथा अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अंदर मयाद सुमार करने का निवेदन भी किया था । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील मे दिनांक 29–12–15 को अपीलांटगण के पक्ष मे स्थगन आदेश भी पारित किया था तथा पत्रावली रेस्पो0 के नोटिस तामिली एवं रेकर्ड तलबी मे चल रही थी परंतु पत्रावली को लोक अदालत केम्प पल्ली मे रखने की सूचना अपीलांटगण को दिये बिना तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही केम्प पल्ली मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज करने बाबत अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11–7–16 को पारित कर दिया, जो विधि एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 प्रेमसिह के पिता का नाम अमानसिह है जो कि स्व0 किरतसिह के भाई का पुत्र है परंतु अपीलाधीन म्युटेशन मे प्रेमसिह को मृतक किरतसिह का जाईन्दा पुत्र दर्शाते हुए म्युटेशन त्रुटिपूर्ण स्वीकृत किया गया था,जो प्रांरभ से ही विधिविरूद्ध एवं शून्य था तो ऐसे मे मयाद का बिन्दु गौण हो जाता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना ही अपीलांटगण की अपील को केवल मयाद जैसे तकनिकी बिन्दु पर खारीज कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान आर.आर.डी. 1994 पेज 606, आर.आर.डी. 1994 पेज 604 एवं आर.आर.डी. 1998 पेज 310 की निर्णय नजीरे पेश करते हुए कथन किया कि एब–इनिश्यो–वॉईड आदेशो के विरूद्ध अपील पेश करने मे मयाद का बिन्दु गौण हो जाता है तथा अपीलेट कोर्ट को अपील का निर्णय प्रकरण के गुणावगुण को देखते हुए करना चाहिये परंतु अधीनस्थ न्ययालय ने अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही तथा अपील का निर्णय गुणावगुण पर नही करके केवल मयाद बाहर मानकर एकतरफा निर्णय पारित किया है, जिसे निरस्त करने तथा अपीलांट की उक्त अपील का स्वीकार करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्ष 1976 मे स्वीकृत हुए म्युटेशन के विरूद्ध प्रथम अपील वर्ष 2014 मे लगभग 38 वर्ष के विलंब से पेश की तथा इतने लंबे विलंब को क्षमा करने हेतु अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे विलंब को क्षमा करने का कोई ठोस एवं संतोषप्रद कारण का उल्लेख नही होने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज की है, जिसमे कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय

की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध पत्रादि तथा अपीलाधीन निर्णय आदि का भी अवलोकन किया तथा अपीलांट अधिववक्ता द्वारा प्रस्तुत निर्णय नजीरों का भी अध्ययन किया । वर्ष 1976 मे ग्राम पंचायत पल्ली द्वारा स्वीकृत किये गये अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 36 की जानकारी मृतक खातेदार किरत सिह के वारिसान वर्तमान अपीलांट को होने पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्ष 2014 मे प्रथम अपील पेश की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने मयाद के बिन्दु पर प्रथम अपील को खारीज किया है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि रेस्पो0गण के सम्मन अधीनस्थ न्यायालय से जारी ही नही हुए है, वे पत्रावली मे बिना जारी हुए नत्थी है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय की प्रथम सीलनुमा आदेशिका मे रेस्पो0 के सम्मन जारी करने का उल्लेख अवश्य है तथा आदेशिका दिनांक 29–12–2015 के द्वारा राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित गये थे तथा पत्रावली रेस्पो0 की तलबी मे चल रही थी परंतु पत्रावली को लोक अदालत केम्प पल्ली मे रखते हुए बिना पक्षकारो को सुनवाई का अवसर या नोटिस दिये अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज किया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11–7–16 निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट्स (मृतक खातेदार किरत सिह के विधिक वारिसान) एवं रेस्पो0 को नोटिस जारी कर, उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 21–6–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर